



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 365 राँची, शुक्रवार, 12 आषाढ़, 1948 (श०)
3 जुलाई, 2026 (ई०)

**अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग।**

अधिसूचना
29 अगस्त, 2022

झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022

1. उद्देश्य:-

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति के छात्रछात्रा की पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने तथा उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022 का गठन किया जाता है।

2. क्षेत्राधिकार:-

- 2.1. वैसे शैक्षणिक संस्थान जो इस नियमावली के शर्तों को पूरा करते हो तथा विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत हो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित होंगे।
- 2.2. झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति के छात्रछात्रा इस योजना अन्तर्गत आच्छादित होंगे।

2.3. इस योजना के अन्तर्गत पात्र होने के लिए शैक्षणिक संस्थानों / विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित उपस्थिति प्रणाली का भी पालन करना आवश्यक होगा।

3. पात्रता:-

3.1. पाठ्यक्रमों का वर्गीकरण:-

Course Group	Category of Courses	Courses
Group -1 "A"	Degree and Post Graduate level professional courses in A++, A+, A and B++ NAAC Accredited educational institution/colleges	i. All Professional courses in Medicine, Engineering, Technology, Planning, Architecture, Design, Fashion Technology, Agriculture, Veterinary & Allied Sciences, Management, Business Finance/ Administration, Computer Science/Applications. ii. Post Graduate Diploma courses in various branches of Management & Medicine courses. iii. C.A./I.C.W.A./C.S/I.C.F.A. etc. iv. M.Phil., Ph.D. and Post-Doctoral Programmes (D.Lit., D.Sc. etc.) of Group 1, 2 and 3 courses. v. L.L.B, Integrated L.L.B, L.L.M.
Group -1 "B"	Degree and Post Graduate level professional courses in B+ and B NAAC Accredited educational institution/colleges	
Group -1 "C"	Degree and Post Graduate level professional courses in C and D NAAC Accredited and non NAAC Accredited educational institution/colleges	
Group 2- "A"	Other Professional Courses leading to Degree, Diploma, Certificate in A++, A+, A and B++ NAAC Accredited educational institution/colleges	Diploma, Certificate" shall mean all Professional Courses leading to Degree, M Ed. / M. Pharma., Diploma, Certificate in areas like Pharmacy (B Pharma.), Nursing (B Nursing), BFS, other para medical branches like rehabilitation, diagnostics etc., Mass Communication, Hotel Management & Catering, Travel/Tourism/Hospitality Management, Interior Decoration, Nutrition & Dietetics, Commercial Art, Financial Services (e.g. Banking, Insurance, Taxation etc.) for which entrance qualification is minimum Sr. Secondary (10+2) and Vocational stream, ITI courses and Polytechnic where entrance qualification is Class XII or above.
Group 2- "B"	Other Professional Courses leading to Degree, Diploma, Certificate in B+ and B NAAC Accredited educational institution/colleges	
Group 2- "C"	Other Professional Courses leading to Degree, Diploma, Certificate in C and D NAAC Accredited and non NAAC Accredited educational institution/colleges	
Group 3-	Graduate and Post Graduate course	Courses not covered under Group 1 & Group 2 e.g. BA/B.Sc./B.Com etc. M.A/ M. Sc./ M.Com etc.
Group 4-	All post-matriculation (Post Class X level) non-degree courses	All post-matriculation level non-degree courses for which entrance qualification is High School (Class X), e.g. Senior secondary certificate (class XI and XII); both general and vocational stream, ITI courses, 3 year diploma courses in Polytechnics, etc.

3.2. शैक्षणिक संस्थानों की पात्रता:-

- सभी शैक्षणिक संस्थानों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित होने के लिए विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

- II. शैक्षणिक संस्थान/कॉलेज के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण हेतु संबंधित अभिलेखों/कागजातों का अनिवार्यता आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस संबंध में आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची द्वारा शैक्षणिक संस्थान/कॉलेज का पंजीकरण से संबंधित विहित प्रपत्र तैयार कर छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा।
- III. केवल ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवस्था को बनाए रखते हों वे इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित होंगे।
- IV. केवल AISHE कोड / U-Dise वाले शैक्षणिक संस्थान/कॉलेज पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगे।
- V. सभी शैक्षणिक संस्थान/कॉलेज विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर एक बार अपना पंजीकरण करेंगे एवं जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करेंगे उस पाठ्यक्रम की मान्यता अवधि तक पंजीकरण वैध होगा।
- VI. सभी शैक्षणिक संस्थान अपने NAAC / NBA संबंधित तथ्य अभिलेख सहित पोर्टल पर अपडेट करेंगे तथा आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा NAAC / NBA के पोर्टल से इसकी जांच करेंगे।
- VII. आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची द्वारा इस योजना अन्तर्गत आच्छादित होने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेजों का प्रत्येक छः माह पर सभी शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेजों को प्रपत्र निर्धारित कर Self Audit Report प्राप्त करेंगे।
- VIII. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेजों को एक नोडल ऑफिसर (INO-Institute Nodal Officer) रखना होगा जो छात्रवृत्ति से संबंधित कार्य करेंगे। उक्त संस्थान से संबंधित सभी तरह की जानकारी जिला कल्याण पदाधिकारी संबंधित (INO-Institute Nodal Officer) से प्राप्त करेंगे।
- IX. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेजों एवं छात्रावास जिसमें छात्र-छात्रा अवासित हो एवं योजना का लाभ ले रहे हों उन सभी शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेजों एवं छात्रावासों का Geo Tagging-Photograph विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- X. आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची द्वारा एक से अधिक दो सदस्यीय जांच दलों का गठन करते हुए प्रत्येक तीन वर्ष में राज्य के बाहर के इस योजना अन्तर्गत आच्छादित होने वाले शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेजों भौतिक निरीक्षण कराएंगे। भौतिक निरीक्षण के क्रम में अनियमितता या कोई त्रुटि पाए जाने पर आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची अग्रतर कार्रवाई करने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

3.3. आय सीमा:-

- I. माता-पिता/अभिभावक की पारिवारिक आय सीमा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रावधान के सदृश अर्हताधारी छात्र-छात्राओं के माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो।
- II. भारत सरकार के संबंधित विभाग द्वारा उपर्युक्त आय सीमा में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो यह झारखण्ड राज्य में भी स्वयं प्रवृत्त माना जाएगा। अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इस विषयक आदेश निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार होगा।

4. छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया:-

- 4.1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होने के लिए संबंधित छात्र-छात्रा को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- 4.2. ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 4.3. छात्र-छात्रा द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के क्रम में सर्वप्रथम अपना आधार नं. भरा जाएगा। Aadhaar Authentication के उपरान्त उनका एक Unique ID पोर्टल द्वारा Generate होगा जिसके मदद से वे आगे ऑनलाईन आवेदन के अगले स्तर की सभी विवरण को भरेंगे।
- 4.4. छात्र-छात्रा ऑनलाईन आवेदन में अपने नाम के आधार आधारित बैंक खाता का ही विवरण भरेंगे। अन्य व्यक्ति के नाम का बैंक खाता भरने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा।
- 4.5. छात्र-छात्रा द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त सर्वप्रथम शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेजों द्वारा विभागीय पोर्टल पर सत्यापन किया जाएगा। जिन आवेदनों का शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेजों द्वारा सत्यापन नहीं किया जाएगा उन आवेदनों का निरस्त माना जाएगा।
- 4.6. छात्र-छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के साथ आवेदक के आवास क्षेत्र अंचलाधिकारी अथवा उच्च स्तर पर निर्गत ऑनलाईन आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र को पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
- 4.7. जिन छात्र-छात्रा कोई अन्य छात्रवृत्ति या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता का लाभ ले रहे हो वे इस योजना अन्तर्गत आच्छादित होने के पात्र नहीं होंगे।

5. अन्य शर्त:-

- 5.1. यदि कोई छात्र-छात्रा पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, और वह छोड़े गए पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करता है तो वह नए पाठ्यक्रम के छात्रवृत्ति के लिए योग्य होगा। किन्तु छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद छात्र-छात्रा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो उक्त छात्र-छात्रा को दूसरे वर्ष नए छात्र के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अर्थात् एक शैक्षणिक सत्र के लिए दो बार छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
- 5.2. छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत फर्जी कागजात / गलत तरीके से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा से छात्रवृत्ति की राशि संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा वसूली की जाएगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विहित कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में वे किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे।
- 5.3. छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने हेतु तथ्यों से छेड़छाड़ / फर्जी कागजात / अन्य शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्रा को दर्शाना / छात्र-छात्रा अध्ययनरत् न पाए जाना तो उक्त शिक्षण संस्थान पर आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची को राज्य के बाहर के संस्थान हेतु एवं संबंधित जिला के उपायुक्त राज्य के संस्थान हेतु कार्रवाई करने की जिम्मेवारी होगी।

5. छात्रवृत्ति आवेदनों की सत्यापन की प्रक्रिया:-

- 6.1. सभी आवेदनों की सत्यापन का दायित्व संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी का होगा।
- 6.2. विभागीय पोर्टल द्वारा निम्नलिखित User-ID और Password निर्गत किए जाएंगे:-
 - I. INO (Institute Nodal Officer)-UDISE Code / AISHE Code प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों / कॉलेजों के प्राचार्य अथवा प्रभारी प्रचार्य उनके द्वारा आधिकृत वारिष्ठ अधिकारी।
 - II. DNO (District Nodal Officer)- जिला कल्याण पदाधिकारी।
 - III. SNO (State Nodal Officer)- आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी।
- 6.3. छात्र-छात्रा द्वारा किए गए आवेदनों का सर्वप्रथम सत्यापन INO द्वारा किया जाएगा अपने User Id और Password से किया जाएगा।
- 6.4. INO द्वारा सत्यापन के उपरान्त अगले चरण पर DNO स्तर पर जिला कल्याण कल्याण पदाधिकारी के User ID और Passwod पर आवेदन दिखाई देगा। DNO द्वारा DNO स्तर पर प्राप्त आवेदनों का जांच करते हुए अगले स्तर पर जिला स्तरीय पर अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला स्तरीय पर अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति को आवेदनों को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकारी होगा।
- 6.5. SNO (State Nodal Officer) का दायित्व- SNO जिला स्तरीय सभी भुगतान को राज्य स्तर पर भारत सरकार के संबंधित पोर्टल पर अग्रसारण / एकीकरण / साझा करने आदि सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

7. जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति

- 7.1. DNO द्वारा आवेदन को अग्रसारित करने के उपरान्त जिला कल्याण पदाधिकारी सभी आवेदन को जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखेंगे।
- 7.2. जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति निम्नरूपेण होगा:-

i उपायुक्त	-अध्यक्ष
ii उप विकास आयुक्त/परियोजना निदेशक, ITDA	-उपाध्यक्ष
ii जिला शिक्षा पदाधिकारी	-सदस्य
iv जिला शिक्षा अधीक्षक	-सदस्य
v जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC	-सदस्य
vi कोषागार पदाधिकारी	-सदस्य
vii अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक	-सदस्य
viii जिला कल्याण पदाधिकारी	-सदस्य सचिव
- 7.3. जिला स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक छात्र-छात्रा के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेजों द्वारा सत्यापित आवेदन सही है तथा अनुमोदन योग्य है।
- 7.4. उपायुक्त का यह दायित्व होगा कि समिति की बैठक में प्राप्त सूची पर जांच की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए अनुमोदन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

8. जिला स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेजों का अनुमोदन-

8.1. राज्य के अन्दर विभिन्न जिलों में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों / कॉलेजों द्वारा विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर भरे गए विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच तथा त्रुटियों का निराकरण कर जिला कल्याण पदाधिकारी / परियोजना निदेशक, ITDA निम्न समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने योग्य संस्थानों के अनुमोदन हेतु निम्न प्रकार से समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | |
|------|--|------------|
| i | उपायुक्त | -अध्यक्ष |
| ii | उप विकास आयुक्त/परियोजना निदेशक, ITDA | -उपाध्यक्ष |
| iii | जिला शिक्षा पदाधिकारी | -सदस्य |
| iv | जिला श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी | -सदस्य |
| v | जिला में स्थित राजकीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो | -सदस्य |
| vi | जिला में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, यदि कोई हो | - |
| | सदस्य | |
| vii | जिला में स्थित राजकीय इंजी. कॉलेज के प्राचार्य, यदि कोई हो | -सदस्य |
| viii | जिला में स्थित किसी एक राजकीय पॉलीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो | - |
| | सदस्य | |
| ix | DIO-NIC | -सदस्य |
| x | जिला कल्याण पदाधिकारी | -सदस्य |
| | सचिव | |

9. राज्य के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेजों का अनुमोदन-

9.1. राज्य के बाहर अन्य राज्यों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर भरे गए विवरण की अभिलेखीय जांच एवं त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड द्वारा किया जाएगा।

9.2. भरे गए विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड द्वारा करायी जाएगी।

9.3. राज्य के बाहर अन्य राज्यों में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेजों द्वारा विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर भरे गए विवरण की अभिलेखीय एवं त्रुटियों का निराकरण के पश्चात् छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने योग्य संस्थानों की अनुमोदन हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | |
|----|---|---|
| i | आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड | - |
| | अध्यक्ष | |
| ii | अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी | - |
| | सदस्य | |

- iii स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी -सदस्य
- iv उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी -सदस्य
- v स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी - सदस्य
- vi श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी -सदस्य
- vii उप निदेशक, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची -सदस्य सचिव

10. छात्रवृत्ति का मूल्यः

10.1. Tution Fee, Acadmic Allowance / Maintenance Fee के वास्तविक राशि तथा निम्न अधिकतम देय सीमा में जो न्यून होगा वह राशि देय होगी। किसी भी परिस्थिति में निम्नलिखित सीमा से अधिक राशि देय नहीं होगी:-

Course Group	Tuition Fee, Academic Allowance / Maintenance Fee etc. (In Rs.)	
	Hosteller	Day-scholar
Group -1 "A"	1,00,000	90,000
Group -1 "B"	90,000	85,000
Group -1 "C"	85,000	80,000
Group- 2 "A"	75,000	70,000
Group- 2 "B"	70,000	65,000
Group- 2 "C"	65,000	60,000
Group- 3	45,000	40,000
Group- 4	35,000	30,000

10.2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित Acadmic Allowance तथा अन्य देय राशि यथा शैक्षणिक शुल्क, अनुरक्षण भत्ता आदि उपर्युक्त राशि के अन्तर्गत ही सम्मिलित होगी। किसी भी परिस्थिति में कंडिका-10.1 में निर्धारित की गयी छात्रवृत्ति की राशि से अधिक राशि देय नहीं होगी।

10.3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मार्गनिर्देश के अनुसार छात्रवृत्ति के कुल राशि का 60% (साठ प्रतिशत) भुगतान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। शेष

छात्रवृत्ति के कुल राशि का 40% (चालीस प्रतिशत) भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

11. **भुगतान की प्रक्रिया-** छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से DBT द्वारा छात्र-छात्रा का आधार आधारित खाता में APBS (Aadhar Payment Bridge System) के माध्यम से सीधे भुगतेय होगा।
12. **SMS का प्रावधान-** आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन एवं छात्रवृत्ति भुगतान के क्रम में प्रत्येक लाभुक छात्र-छात्राओं को विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाईल नं. पर SMS के द्वारा प्रत्येक चरण की अद्यतन जानकारी दी जाएगी।
13. **अनुश्रवण एवं शिकायतों का निपटारा-**
 - 13.1. किसी भी छात्र-छात्रा को किसी प्रकार की शिकायत होने पर ई-कल्याण पोर्टल पर सीधे अथवा ई-मेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दर्ज जिला स्तरीय शिकायत जिला कल्याण पदाधिकारी को एवं राज्य स्तरीय शिकायत आदिवासी कल्याण आयुक्त को अग्रसारित करेंगे।
 - 13.2. शिकायत का निपटारा जिला स्तर पर संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा एवं राज्य स्तर पर आदिवासी कल्याण आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कोषांग के माध्यम से 72 घण्टों के अन्दर किया जाएगा तथा जिस माध्यम से शिकायत दर्ज किया गया है उसी माध्यम से शिकायतकर्ता को पूर्ण जानकारी दी जाएगी।
14. **मूल्यांकन/सामाजिक लेखा परीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई-** आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची प्रत्येक वर्ष पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का अंकेक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण कराएंगे तथा तीन वर्षों में मूल्यांकन कराएंगे।
15. **आईटी फ्रेमवर्क एवं छात्रवृत्ति पोर्टल-** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आईटी फ्रेमवर्क में अगर कोई परिवर्तन किया जाता है या राज्य सरकार को विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उस अनुसार पोर्टल पर परिवर्तन करने हेतु विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।
16. **नियमावली में संशोधन का अधिकार-**
 - 16.1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है एवं परिवर्तन से वित्तीय भार बढ़ती है तो राज्य सरकार परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकार होगा।

- 16.2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली/मार्गनिर्देश में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है एवं परिवर्तन से वित्तीय भार नहीं बढ़ती है तो विभाग परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकार होगा।
- 16.3. Course Group में संशोधन के लिए विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।
- 16.4. Course Group में पाठ्यक्रम को शामिल करने या हटाने एवं पाठ्यक्रम के नाम में परिवर्तन होने की आवश्यकता होने पर आदिवासी कल्याण आयुक्त सक्षम प्राधिकार होंगे।
17. दिनांक-24.08.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-34 में सम्मिलित करते हुए प्रदान की गई स्वीकृति के आलोक में निर्गत संकल्प-2587, दिनांक-29.08.2022 की कंडिका-6 के संदर्भ में अधिसूचना निर्गत।

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव
